सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण सं0 06/13

1.साहबराम पुत्र श्री सत्यपाल उर्फ सुखपाल जाति कुम्हार, निवासी वार्ड नं 19, सादुलशहर तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

प्रार्थी–शिकायतकर्त्ता

शिकायत बाबत नगरपालिका,सादुलशहर द्वारा अपने चेहेते व्यक्ति को नियम विरूद्ध खांचा भूमि में दुकान अलॉटमैंट करने व सूचना के अधिकार के तहत पत्रावली की प्रमाणित कॉपी न देने बाबत।

आदेश

दिनांक : 10–08–2016

प्रस्तुत प्रकरण में शिकायतकर्त्ता द्वारा शिकायत प्रार्थना पत्र इस आशय का दिनांक 16.01.2013 को प्रस्तुत किया गया था कि खांचा भूमि में दुकान देने का मुकद्दमा भ्रष्टाचार ब्यूरों निरोधक में दर्ज हो चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत पत्रावली की नकल न देने के कारण राज्य सूचना आयोग, जयपुर का भी नगरपालिका को नोटिस मिल चुका है। महालेखाकार,जयपुर द्वारा की गई ऑडिट में फाईल न दिखानें का उल्लेख किया गया है। अतः फर्जीवाडे की जांच की जाकर न्याय किया जाये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर व नगरपालिका, सादुलशहर से रिपोर्ट तलब की गई।

उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 619 दिनांक 18.02.2013 से अवगत करवाया है कि अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सादुलशहर के पत्र क्रमांक 158 दिनांक 11.01.2013 के प्रा.जा.स. 255/12 उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर द्वारा जांच में दुकान संख्या 95 की खांचा भूमि की जांच विचाराधीन होने के कारण मूल पत्रावली मंगवाई गई थी। प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान दिनांक 15.01.2013 के बाद पत्रावली नहीं मिल रही है। प्राप्त होते ही उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, श्रीगंगानगर को भेजी जायेगी।

नगरपालिका, सादुलशहर ने अपने पत्र क्रमांक 3287 दिनांक 31.01.2013 द्वारा अवगत करवाया है कि आवेदक श्री साहबराम द्वारा श्रीमान् संभागीय आयुक्त, बीकानेर, श्रीमान् लोकायुक्त महोदय, श्रीमान् निदेशक स्वायत् शासन विभाग, जयपुर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय , माननीय स्वयत् शासन मंत्री महोदय को शिकायतें कर रखी है।

उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपने पत्र क्रमांक 1925 दिनांक 07.06.2013 द्वारा अवगत करवाया है कि दुकान संख्या 95 की खांचा भूमि की पत्रावली तलाश के उपरान्त भी नहीं मिल रही हैं। जांच हेतु विभागीय स्तर पर कमेटी बना दी गई हैं। पुलिस थाना, सादुलशहर को गुम होने की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाकर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिख दिया गया है।

उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपने पत्र क्रमांक 4111 दिनांक 10.12.2013 द्वारा अवगत करवाया है कि नगरपालिका की दुकान संख्या 95 से सम्बन्धित मूल पत्रावली नगरपालिका की समस्त शाखाओं के प्रभारियों के द्वारा तलाशने के बावजूद नही मिली है। इस सम्बन्ध में अधिशाषी अधिकारी

के द्वारा पुलिस थाना, सादुलशहर में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। पत्र दिनांक 09.12.2013 की प्रति पत्रावली में संलग्न है।

इस प्रकार शिकायतकर्त्ता का प्रकरण माननीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों न्यायालय में विचाराधीन है। नगरपालिका सादुलशहर में दुकान संख्या 95 की खांचा भूमि आवंटन सम्बन्धी पत्रावली न मिलने की रिपोर्ट नगरपालिका, सादुलशहर द्वारा पत्र क्रमांक 3137 दिनांक 09.12.2013 द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जा चुकी है। सूचना के अधिकार के तहत पत्रावली की नकल न देने की अपील राज्य सूचना आयोग, जयपुर में प्रार्थी द्वारा दायर की जाना अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है। अतः इस स्तर पर प्रार्थना पत्र में इस कार्यालय द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रार्थना पत्र नस्तीबद्ध किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 10.08.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/8/16
(करतारसिंह पूनियां)
अति0 जिला कलक्टर, (प्रशासन)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्री गंगानगर।
श्रीगंगानगर (राजस्थान)